AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

महिला नेतृत्व में आर्थिक स्वावलंबन की भूमिका

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. नीता बाजपेयी
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
राज्य एनएसएस आधिकारी, छ.ग. शासन
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

महिला सशक्तिकरण सामाजिक परिवर्तन का सूचक है और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राथमिकता है। महिला या पुरुष, चाहे वह जितना ऊँचा दर्जा रखता हो, उसे उतना ही सशक्त माना जाता है फिर भी, महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष उच्च दर्जे के पदों पर हैं। नेतृत्व और सशक्तिकरण का बेहतर आंकलन करने के लिए उच्च–स्तरीय पदों पर अधिक महिलाओं की आवश्यकता है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने महिलाओं के मुद्दों को संबोधित किया है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं ताकि उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बढ़ाया जा सके और उन्हें विकासात्मक गतिविधियों में शामिल किया जा सके। उच्च शिक्षा और व्यवसाय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी साधन हैं, लेकिन इस संबंध में संस्कृति की भूमिका और रचनात्मकता को नकारा नहीं जा सकता। यह शोध बताता है कि आर्थिक स्वावलंबन, रचनात्मक उद्योग के माध्यम से महिलाओं को गरीबी से कैसे सशक्त बनाया जाए। भारत में महिला आर्थिक स्वावलंबन सरकार और नागरिक समाज दोनों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि आर्थिक रूप से संबल महिलाएँ देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। समाज में आर्थिक रूप से संबल महिलाओं को गरीब महिलाओं की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्थिक स्वावलंबन होने पर महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। यद्यपि घर में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की महिलाओं की क्षमता को कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन आर्थिक स्वावलंबन यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती है। हमारे समाज में, महिलाओं को आमतौर पर निम्न सामाजिक स्थिति वाली माना जाता है, जिसने आर्थिक स्वावलंबन के लिए उनके अवसर और विचारशीलता को और कमजोर कर दिया है। आर्थिक स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण का एक मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का जवाब देने, अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपने जीवन को बदलने में सक्षम बनाती है। आर्थिक स्वावलंबन से महिलाओं को पितृसत्तात्मक परंपराओं की सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। महिलाओं को मीडिया के प्रति अधिक संपर्क, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता, संसाधनों तक अधिक पहुँच, बेहतर संचार कौशल मिलता है, साथ ही आर्थिक सशक्तीकरण से परिवार के निर्णयों में उनकी बातचीत की शक्ति बढ़ती है और पैसे से संबंधित निर्णयों में उनकी अधिक भागीदारी होती है। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश गरीब महिलाओं को अपने बच्चों की शिक्षा, कॉलेज या कोचिंग चुनने, अपने व्यवसाय आदि के बारे में निर्णय लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। महिलाओं की आर्थिक उपलब्धि उनके निर्णय लेने की शक्ति से सकारात्मक रूप से संबंधित है। यह समानता लाने में सहायता करती है और परिवार, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में उनकी स्थिति को सुधारने के साधन के रूप में काम करती है। भारत हाल के वर्षों में महाशक्ति बनने

की ओर अग्रसर है। महिलाओं का आर्थिक रूप से संबल होना समाज में उनकी स्थिति बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। आर्थिक स्वतंत्रता असमानताओं में भी कमी लाती है और परिवार के भीतर उनकी स्थिति को सुधारने के साधन के रूप में कार्य करती है और भागीदारी की अवधारणा को विकसित करती है। इस शोध का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से महिला नेतृत्व के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालना है।

मुख्य शब्द

सामाजिक परिवर्तन, विकासात्मक, रचनात्मकता, आर्थिक स्वावलंबन, पितृसत्तात्मक.

परिचय

आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव से लड़ने के लिए उनके अधिकारों और शक्ति के बारे में समझ प्रदान करती है। यह समृद्धि, विकास और कल्याण की कुंजी है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह सीखने का एक रूप है जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान या अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। शिक्षा एक उपकरण बन गई है और साथ ही सामाजिक परिवर्तन का एक घटक भी है जो नए ज्ञान, नए मूल्यों और मानवीय स्थितियों को सुधारने के नए तरीकों को बढ़ावा देता है। शिक्षा, निस्संदेह मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाती है और अज्ञानता और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाती है। यह व्यक्ति को अधिकारों के बारे में जागरूक बनाती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करती है। यह पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देना हमारी शैक्षिक नीति का आधार रहा है। हमारे समाज में महिलाओं को आमतौर पर निम्न सामाजिक स्थिति वाला माना जाता है, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनके अवसर कम हो गई है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को पितृसत्तात्मक परंपराओं की सामाजिक और पारिवारिक बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। महिलाओं को मीडिया के प्रति अधिक संपर्क, अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता, संसाधनों का अधिक उपयोग, बेहतर संचार कौशल मिलता है, साथ ही आर्थिक सशक्तीकरण से परिवार के निर्णयों में उनकी बातचीत की शक्ति बढ़ती है और धन संबंधी निर्णयों में उनकी भूमिका अधिक होती है। कई शोधों ने साबित किया है कि शिक्षा के स्तर का परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति से सीधा संबंध है। सदियों से महिलाओं की स्थिति में कई उतार–चढ़ाव आए हैं और वर्तमान में भारतीय समाज शिक्षा और रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाकर लैंगिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। शिक्षा, निस्संदेह मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाती है और अज्ञानता और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाती है, यह व्यक्ति को अधिकारों के बारे में जागरूक बनाती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करती है। शोध का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू एवं सार्वजनिक मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करना है। समाज और परिवार में महिला सशक्तिकरण का निर्णय लेने के प्रभाव से गहरा संबंध है। पुरुषों की व्यावसायिक क्षेत्रों में भागीदारी और महिलाओं की घरेलू क्षेत्रों में भागीदारी को दर्शाने वाली पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं ने महिलाओं को निर्णय लेने की उनकी क्षमता में वंचित किया है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को घरेलू जिम्मेदारियों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में मापा गया है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और महिलाओं के निर्णय लेने को प्रभावित करती है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

महिला नेतृत्व का आर्थिक परिपेक्ष्य में विष्लेषण

भारतीय समाज के इतिहास में ऐसी अनेकों स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जो कि राजनैतिक प्रभुत्व वाले परिवार की सदस्य होने के कारण महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण का प्रतीक मानी जा सकती है, किंतु ऐसे प्रकरण केवल प्रभावशाली परिवारों से ही संबंध पाए गए हैं। चूंकि जनसंख्या के सर्वांगीण विकास का अर्थ यह है

कि जनसंख्या में सम्मिलित आधी आबादी के रूप में स्त्रियों को भी समाज में वही इस स्थान, वही शक्ति और वही अधिकार तथा स्वतंत्रता मिले जो कि पितृ सत्तात्मक समाज के पुरुष वर्ग को प्राप्त है। इस रुप में महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष या समतुल्य देखे जाने से है और यह की महिला सशक्तिकरण का इतिहास कतिपय प्रभावशाली परिवारों से आई महिलाओं के उदाहरण मात्र तक सीमित नहीं है बल्कि इन में जनसंख्या की समस्त महिलाएं सम्मिलित हैं। समाज में स्त्री के राजनैतिक उत्थान से उसके लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वतंत्रता, प्रभावशीलता और सामाजिक आधिपत्य या प्रभुत्व के द्वार खुलते हैं।

प्रस्तुत अध्याय में पंचायत राज में उनकी भागीदारी का अध्ययन किया गया। महिला प्रतिनिधियों से यह जानने का प्रयास किया गया कि जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हैं। उनकी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय लेने में खुद को सक्षम पाती है या नही। अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में 342 महिलाओं का चयन किया गया। उत्तरदाताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि के प्राप्त तथ्यों के आधार पर अध्ययन में उत्तरदाताओं के व्यवसाय के बारे में भी अध्ययन किया गया एवं प्राप्त आंकडो के आधार पर कहा जा सकता है कि 31.9 प्रतिशत उत्तरदाता जनप्रतिनिधी का व्यवसाय कृषि है, जबकि 38.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वंय का व्यवसाय हैं, 15.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अन्य व्यवसाय है जबकि शेष 13.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी भी प्रकार के व्यवसाय से मना किया। उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कम मासिक आय वाले उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक मासिक आय वाले उत्तरदाता ग्राम विकास के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को आसानी से पूरा करवा लेते हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि ग्रामीण संरचना में अर्थ का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि कम आय वाले उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक आय वाले उत्तरदाता कार्य करवाने में ज्यादा सफल है, जो इस बात को भी स्पष्ट करता है कि जैसे–जैसे उत्तरदाताओं की मासिक आय बढ़ी है वैसे ही उनकी शक्ति भी बढ़ती है । उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है, की कम आय वाले उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक आय वाले उत्तरदाता ग्राम विकास के अन्य कार्य को पूर्ण करने में ज्यादा सफल है जो इस बात को स्पष्ट करता है की धन का प्रभाव दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है।

उपरोक्त अध्याय में ग्राम विकास में महिला नेतृत्व से स्पष्ट होता है कि महिला जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में ग्राम विकास के कार्य चाहे वह कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वछता,कृषि,पशुपालन जैसे अन्य कार्य को करवाने में सक्षम है। तुलनात्मक सारिणी के तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार आर्थिक स्वतंत्रता सशक्तिकरण के आधार है।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने तथा उसे विकास की ओर ले जाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे राष्ट्रीय सुधार के लिए आवश्यक जीवंत मानवता की आवश्यक संपत्ति हैं, इसलिए यदि हमें अपने देश में महिलाओं का उज्ज्वल भविष्य देखना है, तो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता समाज में उनकी स्थिति को बदलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। आर्थिक स्वतंत्रता असमानताओं में भी कमी लाती है तथा परिवार में उनकी स्थिति को सुधारने का एक साधन है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने में लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए राज्य में विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। आर्थिक स्वतंत्रता लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार, पंचायतों, सार्वजनिक मामलों आदि में भागीदारी की भावना विकसित करती है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों को एक साथ काम करना चाहिए और महिलाओं को अपने कौशल का उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण से न केवल व्यक्तिगत महिला और महिला समूहों को लाभ मिलता है, बल्कि विकास के लिए सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से परिवारों और समुदाय को भी लाभ होता है इसलिए, आर्थिक स्वतंत्रता उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही मजबूत साधन है।

संदर्भ सूची

1. लेविस, ऑस्कर (19958) ग्रुप डायनामिक्स इन नार्थ इंडिया विलेजेसः ए स्टडी ऑफ फक्शन्स, प्रोग्राम

इवेल्युएशन आर्गेनाइजेशन प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली।

2. सिंह, बैजनाथ (1959) द इम्पेक्ट ऑफ द कम्यूनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ऑन रूरल लीडरशिपः पार्क एण्ड टिंकर (सं.) लीडरशिप एण्ड पॉलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मद्रास।
3. सिंह, अवतार (1963) *लीडरशिप पैटर्न एण्ड विलेज स्ट्रक्चर,* स्टर्लिंग, नई दिल्ली।
4. वैकटरंगैय्या, एम. एवं रामरेड्डी, जी. (1967) *पंचायत राज इन आंध्रप्रदेश,* स्टेट चौम्बर ऑफ पंचायत राज, हैदराबाद।
5. शाह, जी. (1975) पोलिटिक्स ऑफ शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स वोरा एण्ड कं., बम्बई।
6. मुखर्जी, आर.एन. (1975) *भारतीय सामाजिक संस्थायें,* सरस्वती सदन दिल्ली।
7. भार्गव, बी.एस. (1979) *पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज,* आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
8. दरसानकर, ए.आर. (1979) *लीडरशिप इन पंचायत राज,* पंचशील प्रकाशन, रायपुर।
9. चक्रवर्ती, के. एवं भट्टाचार्य. एस.के. (1993) *लीडरशिप फैक्शंस एण्ड पंचायतराज,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
10. कौशिक, सुशीला (1993) *वुमन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स,* विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
11. खत्रा, बी.एस. (1994) *पंचायत राज इन इंडिया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,* दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
12. दास, प्रभाकर (1994) *इमर्जिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप इन ट्रायबल इण्डिया,* मानक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
13. गौड, के.के. (1997) *भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उद्दीयमान स्वरूप,* मानक पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
14. भारद्वाज, अरूणा (2000) *पंचायत राज व्यवस्था के वैचारिक आयाम,* कन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
15. शर्मा, आदर्श (2000) पंचायती राज में महिला आरक्षण औचित्य एवं संभावनाएं, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।

——==00==——